भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 262

उत्तर देने की तारीख 02 फरवरी, 2026

सोमवार, 13 माघ, 1947 (शक)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में विसंगतियां

262. एडवोकेट प्रिया सरोज: सुश्री इकरा चौधरी: श्री पुष्पेंद्र सरोज:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत प्रमाणित लाभार्थियों, जिनके बैंक खाते, मोबाइल नंबर या पहचान विवरण अमान्य, निष्क्रिय या अपुष्ट पाए गए हों, की संख्या कितनी है और उक्त लाभार्थियों को अंतरित कुल धनराशि का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण या धोखाधड़ी वाले प्रत्यय पत्रों के साथ पाए गए मूल्यांकनकर्ताओं या मूल्यांकन अभिकरणों की संख्या कितनी है, उनके द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार की गई कार्रवाई, जिसमें ब्लैकलिस्टिंग या वसूली शामिल है, का ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्धारित शैक्षिक या तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा किए बगैर जॉब संबंधी भूमिकाओं में प्रमाणित अभ्यर्थियों, जिनमें लापता या असत्यापित शैक्षिक अभिलेखों के मामले शामिल हैं, की संख्या कितनी है और उनका जॉब-भूमिका-वार और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पीएमकेवीवाई के तहत दुरुपयोग किए गए धन की वसूली, जवाबदेही तय करने और सत्यापन एवं निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने पीएमकेवीवाई के प्रारंभिक चरणों से लेकर 2022 तक के प्रदर्शन लेखा परीक्षा (ऑडिट) संचालित की और डेटा सत्यापन, लाभार्थी विवरण, आकलनकर्ता जानकारी, पात्रता सत्यापन और निगरानी प्रक्रियाओं से संबंधित परंपरागत (लीगेसी) प्रणालियों में कुछ कमियों को उजागर किया, जो मुख्य रूप से आईटी नियंत्रणों की सीमाओं और उस समय प्रचलित विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन के कारण थीं।

इन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत व्यापक सुधारात्मक उपाय किए हैं, जिनमें आधार-आधारित ई-केवाईसी, चेहरे की पहचान और जियो-टैग की गई उपस्थिति, क्यूआर-कोड वाले डिजिटल प्रमाणपत्र, स्किल इंडिया डिजिटल हब पर वास्तविक समय के डैशबोर्ड, एनसीवीईटी के माध्यम से आकलनकर्ता और प्रशिक्षण केंद्र की मान्यता को सशक्त बनाना, कौशल समीक्षा केंद्र के माध्यम से स्वतंत्र निगरानी, स्पष्ट केपीआई के साथ संशोधित निगरानी दिशानिर्देश और एक सशक्त दंड और वसूली ढांचा शामिल हैं।

जहां भी नियमों का पालन न होने की पुष्टि हुई है, वहां निलंबन, ब्लैकलिस्टिंग, धन की वसूली और कठोर कदम सहित अनुशासनिक कार्रवाई की गई है, जिससे योजना के तहत सशक्त जवाबदेही, सत्यापन और निगरानी तंत्र को संस्थागत रूप दिया गया है।
